बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 19.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज 3,112 लीटर एवं अभी तक कुल 2,13,105 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण बिहार राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक कुल ₹2,54,03,529/– जब्त किया जा चुका है।

   आज पूर्वी चम्पारण जिले के कुंदवा चैनपुर थानान्तर्गत SSB द्वारा 4,52,000 नेपाली मुद्रा की जब्ती सहित 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में ₹5,45,895/– जब्त किया गया है और साथ ही 7 ट्रक लूटेरों को 4 देशी कट्टा और 8 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। नवादा जिला के नारदीगंज थानान्तर्गत 1 रायफल, 1 बंदूक एवं 3 गोली के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी जिला में ₹5,02,900/– जाँच के दौरान प्राप्त हुआ है जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	651
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	92
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	112
Violation of Loudspeaker Act	18
Illegal Meeting/Speech etc.	5
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	2
Others	37

3. Law & Order के तहत अभी तक कुल निम्नलिखित मामले सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	648
No. of Explosives seized	129
No. of cartridges seized	2,388
No. of Bombs seized	91
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	19
No. of Licensed Arms verified	63,008
No. of Licensed Arms deposited	10,489
No. of Licensed Arms Cancelled	4,215
No. of non-bailable warrants executed	52,277
Fine collected in vehicle checking	Rs. 4,55,30,363

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 18.09.2015 को समस्तीपुर जिलान्तर्गत 132—वारिसनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, 133—समस्तीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, 134—उजियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, 136—सरायरंजन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, 140—हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, भागलपुर जिलान्तर्गत 153—गोपालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, बांका जिलान्तर्गत 163—बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, लखीसराय जिलान्तर्गत 167—सूर्यगढ़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1, जमुई जिलान्तर्गत 241—जमुई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 एवं 243—चकाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 अर्थात कुल 10 नाम—निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है। इस प्रकार प्रथम चरण हेतु आज तक कुल 18 नाम—निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

5. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण—सह—कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा—निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के जिलों यथा कैमूर (भभुआ), रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया जिला के कुल 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 को जारी कर दी जायेगी। उक्त जिलों के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम–निर्देशन करने की अंतिम तारीख 28 सितम्बर, 2015, नाम–निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 29 सितम्वर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 12 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।

****